

दस्तावेज निरस्तीकरण प्रलेख

यह दस्तावेज निरस्तीकरण प्रलेख दिनांक को श्री
.....पुत्र श्रीआयु निवासी
.....जिसे दिनांक को निष्पादित
दस्तावेज में व इस प्रलेख में विक्रेता कहा गया एवं जो दोनों दस्तावेजों
का प्रथम पक्षकार है तथा श्री पुत्र श्री
..... आयु निवासी..... जिसे भी दोनों
दस्तावेजों में क्रेता एवं द्वितीय पक्षकार कहा गया है के मध्य निष्पादित
किया जाता है।

चूँकि उक्त दस्तावेज दिनांक में दोनों पक्षकारों ने एक
सम्पत्ति/भूमि खसरा नम्बर खाता नम्बर
..... रकबा राजस्व ग्राम तहसील
जिला स्थित सम्पत्ति/भूमि जिसका विवरण संलग्न अनुसूची में
दिया गया है को विक्रय करने का करार किया था, किन्तु स्थितियों में
परिवर्तन से अब दोनों पक्षकार उक्त करार को निरस्त करने पर सहमत
हो गये हैं।

अतएव यह लेख्य-पत्र साक्षांकित करता है:-

1. यह कि उक्त विक्रय का करार जो दिनांक को
दोनों पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया गया था अब समाप्त हो गया
है।
2. यह कि प्रथम पक्षकार सम्पत्ति/भूमि का उक्त करार दिनांक
से पूर्ववत के समान मालिक एवं कब्जेदार रहेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा अग्रिम के रूप में दी गई राशि
रूपये विक्रेता/प्रथम पक्षकार ने लौटा दी है जो क्रेता द्वितीय पक्षकार
द्वारा प्राप्त कर ली गई है।
4. यह कि दोनों पक्षकार इस निरस्तीकरण प्रलेख के निष्पादन से करार
दिनांक के सभी अधिकारों एवं दायित्वों से मुक्त हो गये
हैं।

उपयुक्त के साक्ष्य स्वरूप उक्त दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो
गवाहों अके समक्ष इस निरस्तीकरण विलेख पर हस्ताक्षर किये।

साक्षीगण

हस्ताक्षर विक्रेता/प्रथम पक्षकार

(1)

(2)

हस्ताक्षर क्रेता/द्वितीय पक्षकार